

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.3(8)नविवि/II/2019 पार्ट-I

जयपुर, दिनांक

1 DFC 2021

:- संशोधित आदेश:-

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 03.11.2021 के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 03, 04, 05, 06 एवं 07 में अंकित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के साथ राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर भी पढा जावे।

आज्ञा से,

(नवनीत कुमार)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राज. आवासन मण्डल/समस्त विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राज. आवासन मण्डल।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय